VISION IAS

www.visionias.in

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 2205)

Name of Candidate	Bharti Meena		
Medium Eng./Hindi	Hindi	Registration Number	799516
Center	online	Date	08-07-22

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
   इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060
Plot No. 857, 1st Floor, Banda Bahadur Marg (Opp Punjab & Sindh Bank), Dr. Mukherjee Nagar Delhi- 110009

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. What do you understand by 'constitutionalism'? Highlight various ways in which the Indian Constitution underscores this principle. **(150 words) 10**

'संविधानवाद' से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान में इस सिद्धांत को रेखांकित करने वाले विभिन्न उपबंधों पर प्रकाश डालिए।

'संविधानवाद' से अर्थ है कि सरकार सीमाओं, जांच, नियंत्रणों से बंधी होनी चाहिए। आई. आर. कोएल्हो केस में कहा गया कि संविधानवाद एक विधिक सिद्धांत है जिसमें सरकार को उन लोकतांत्रिक आदर्शों के अनुरूप कार्य करना चाहिए जिसके ~~अनुरूप~~ लिए लोकतंत्र का निर्माण हुआ। अर्थात संविधान का अर्थ सीमित सरकार से है।

ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान में 'संविधानवाद' को रेखांकित करने वाले विभिन्न उपबंध हैं –

i) लिखित संविधान → लिखित संविधान होने के कारण सरकार को संविधान के उपबंधों के अनुसार कार्य करना होता है जो सरकार को सीमित करता है।

(ii) विधि का शासन → विधि का शासन होने के कारण कोई विधि से ऊपर नहीं है।

(iii) जवाबदेह सरकार ⇒ संविधान में यह उपबंध है कि कार्यपालिका अपने कार्यों के प्रति विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है जो सरकार की शक्ति

को सीमित करता है।

(iv) मूल अधिकार → मूल अधिकार राज्य द्वारा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए हैं।

(v) न्यायपालिका की स्वतंत्रता व पुनरावलोकन शक्ति
भारत में संघीय व्यवस्था होते हुए एकीकृत न्यायपालिका अपनाई गई तथा उसकी स्वतंत्रता का प्रावधान है तथा उसे कार्यपालिका व विधायिका द्वारा बनाई गई विधियों की संवैधानिकता जाँच करने का अधिकार है।

(vi) शक्ति का पृथक्करण व जाँच व संतुलन →
भारतीय संविधान शक्ति पृथक्करण (कार्यपालिका - न्यायपालिका - विधायिका के मध्य) सिद्धांत पर कार्य करता है और ये तीनों आपस में जाँच-संतुलन को संभव बनाते हैं जिससे अधिनायकवाद की प्रवृत्ति पर अंकुश लगता है।

(vii) संविधान का कठोर स्वरूप → भारतीय संविधान को केवल केंद्र द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता, उसमें राज्यों की भी भूमिका होती है।

अतः स्पष्ट है कि संविधानवाद 'लोकतांत्रिक सरकार' का प्रस्थान बिंदु है और ये भारतीय संविधान में प्रत्येक बिंदु पर उपस्थित है।

Don't write anything in the margin (इस भाग में कुछ मत लिखें)

2. With adequate arguments and examples, elaborate your views on whether interest and pressure groups in India are undermining democracy or strengthening it. **(150 words) 10**

पर्याप्त तर्कों और उदाहरणों के साथ, सविस्तार अपने विचार व्यक्त कीजिए कि क्या भारत में हित समूह और दबाव समूह लोकतंत्र को दुर्बल कर रहे हैं या इसे सुदृढ़ कर रहे हैं।

'हित समूह' ऐसे संगठन होते हैं जो अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाते हैं जबकि 'दबाव समूह' हित समूह का ही एक रूप है जो नीतियों, कानूनों को अपने पक्ष में करने के लिए नीति-निर्माताओं पर दबाव बनाते हैं।

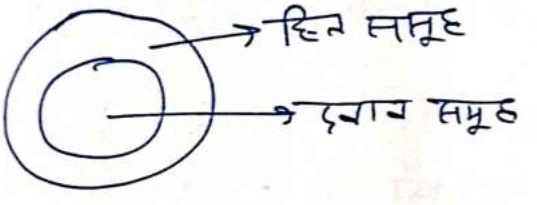

ध्यातव्य है ये समूह लोकतंत्र को सुदृढ़ व दुर्बल कर रहे हैं अर्थात् इनके अपने सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव हैं —

सकारात्मक प्रभाव →

(i) राजनीतिक समाजीकरण → ये समूह राजनीति का समाजीकरण अर्थात् राजनीति के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं जैसे → 'प्रशासनिक सुधार संगठन (ADR)' लोगों को राजनीतिक मूल्यों के बारे में जागरूक करते हैं जिससे वे अपने प्रतिनिधि को सोच समझ कर चुनते हैं।

(ii) अल्पसंख्यक को मुख्यधारा में समावेश → ये समूह अल्पसंख्यकों की आवाज

बनकर उनके अधिकारों के लिए लड़ते हैं जैसे SENA, NCW जैसे महिला संगठन महिलाओं के प्रति विभिन्न कानून - घरेलू हिंसा निषेध अधिनियम को पारित करने में मदद करते हैं।

(iii) स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में → विभिन्न दबाव समूह आपस में प्रतिस्पर्धी होते हैं और जनता के लिए अच्छा निर्णय करते हैं।

नकारात्मक प्रभाव

i) अल्पसंख्यकों को ज्यादा महत्व → बहुसंख्यक की मांग।

(ii) दबाव-समूह के नेताओं का चयन/चुनाव नहीं होता है। अतः ये संकीर्ण हितों को बढ़ावा देते हैं।

(iii) ये समूह अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति में लगे होते हैं

(iv) ये संसद की उपयोगिता को कम करते हैं क्योंकि ये सीधे कार्यपालिका पर दबाव बनाकर अपने अनुसार नीतियों में हस्तक्षेप करते हैं।

ध्यातव्य है कि आज दबाव-समूह का महत्व कई गुना बढ़ा है, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इनके स्वरूप को लोकतांत्रिक बनाकर सरकार के सहयोगी के रूप में काम करें।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. The Competition Commission of India (CCI) effectively reflects a shift from the era of Licence Raj to a conducive regulatory ambience for enhancing consumer welfare by encouraging competition in the market. Discuss.

(150 words) 10

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) बाजार में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करके उपभोक्ता कल्याण को बढ़ाने के लिए लाइसेंस राज के युग से एक अनुकूल नियामकीय परिवेश में स्थानांतरण को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करता है। चर्चा कीजिए।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. Mention various initiatives taken for online delivery of judicial services in India. Also, discuss the challenges faced in their implementation.

(150 words) 10

भारत में न्यायिक सेवाओं की ऑनलाइन प्रदायगी के लिए प्रारंभ विभिन्न पहलों का उल्लेख कीजिए। साथ ही, उनके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।

Covid-19 महामारी के कारण, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी न्यायालयों में कार्यवाही 'वीडियो-कान्फ्रेंसिंग' के माध्यम से की जाए जिससे न्यायालयों में वादियों, अधिवक्ताओं की संख्या कम होगी और सामाजिक दूरी बनाए रखने में मदद मिलेगी।

इससे न केवल उच्च विलम्बता, अवसंरचनात्मक संबंधी समस्या का समाधान होगा बल्कि पारदर्शिता व जवाबदेहिता भी बढ़ेगी।

पहलें ⇒

i) ई-कोर्ट मिशन पहल ⇒ इसके माध्यम से सभी जिला न्यायालयों को ICT की सुविधाओं प्रदान करके नागरिकों को सशक्त किया जाएगा।

(ii) राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड ⇒ यह एक वेब-पोर्टल है जो सभी न्यायालयों में विलम्बित वादों के बारे में सूचित करेगा।

(iii) न्यायिक सेवा केंद्र ⇒ न्यायालयों में एकल-खिड़की के रूप में कार्यरत

iv) कानूनी सूचना व ब्रीफिंग सिस्टम ⇒ यह विभिन्न

सरकारी मंत्रालयों व विभागों से संबंधित कानूनी मामलों से संबंधित है।

(iii) इंटरआपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम → इसके माध्यम से ई-कोर्ट, ई-जेल व CCTNS को एकीकृत किया गया।

चुनौतियाँ

(i) अवसंरचनात्मक चुनौतियां — हाई कनेक्टिविटी, हाई बैंडविड्थ, ऑडियो-वीडियो उपकरण

(ii) मानव संसाधन प्रशिक्षित नहीं — तकनीकी रूप से सक्षम

(iii) डिजिटल डिवाइड की समस्या → ग्रामीण डिजिटल रूप से साक्षर नहीं

(iv) कर्मचारियों व अधिवक्ताओं के मध्य जागरूकता का अभाव

(v) उच्च निवेश की आवश्यकता

(vi) साइबर सुरक्षा से संबंधित खतरा → संवेदनशील डाटा के चोरी व गोपनीयता संबंधित मुद्दा

अतः स्पष्ट है कि आने वाला युग 'डिजिटल युग' है। अतः इन चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है ताकि हमारी न्यायपालिका डिजिटल युग में प्रभावी रूप से काम कर सके।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. Bring out the similarities and differences in the Bill of Rights in the Constitution of the United States and Fundamental Rights in the Constitution of India. (150 words) 10

संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में उपबंधित बिल ऑफ राइट्स और भारत के संविधान में मूल अधिकारों के मध्य समानताओं और भिन्नताओं को रेखांकित कीजिए।

ब्रिटेन के मैग्नाकार्टा से प्रभावित होकर, 1791 में अमेरिका ने अपने संविधान में 'बिल ऑफ राइट्स' का समावेश किया जबकि भारतीय संविधान में 'मूल अधिकार' अमेरिकी संविधान से लिए गए। अतः स्पष्ट है कि दोनों में कुछ समानताएँ भी होंगी और कुछ असमानताएँ भी —

समानताएँ :→

i) अधिकार का ~~स्रोत~~ मूल सार → दोनों अधिकारों का मूल उद्देश्य ~~~~ नागरिकों की 'स्वतंत्रता' व 'समानता' है।

ii) युक्तियुक्त प्रतिबंध → दोनों देशों के अधिकार निरपेक्ष नहीं है, उन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं।

iii) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप → ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर कार्य करते हैं जैसे अमेरिका में जमानत मिलने का अधिकार, ~~~~ सम्मान में शामिल है जबकि भारत में Art-21 में ये शामिल होते हैं।

असमानताएँ :→

i) अमेरिकी संविधान में इन्हें 10 वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया जबकि भारत में संविधान निर्माण के समय।

ii) प्रेस की स्वतंत्रता → अमेरिकी संविधान में अलग से अधिकार है जबकि भारतीय संविधान में Art-19(1) 'वाक् व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' में निहित है।

iii) सम्पत्ति का अधिकार → अमेरिकी संविधान में यह मूल अधिकार है जबकि भारत में 1978 में इसे मूल अधिकार से हटा दिया गया है।

iv) हथियार रखने का अधिकार → अमेरिकी संविधान में यह अधिकार है जबकि भारतीय संविधान में इसे नहीं रखा गया।

अतः कह सकते है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को अमेरिकी संविधान से अपनी सामाजिक - आर्थिक - राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार प्रावधान को अपनाया गया है, न कि अमेरिकी संविधान का अक्षरशः अनुकरण किया गया।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. It is often argued that the implementation of The Forest Rights Act (FRA), 2006 has so far been tardy and ineffectual. Discuss. (150 words) 10

प्राय: यह तर्क दिया जाता है कि अभी तक वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 का कार्यान्वयन धीमा और निष्प्रभावी रहा है। चर्चा कीजिए।

FRA, 2006 आदिवासी व वनवासियों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है जिनका वे उपयोग करते आ रहे हैं जैसे – भोजन, आजीविका आदि। इसमें व्यक्तिगत, सामूहिक, सांस्कृतिक अधिकार शामिल हैं।

ध्यातव्य है कि FRA के अंतर्गत लगभग 230 मिलियन जनजाति व वनवासी आते हैं और वन क्षेत्र के 50% से अधिक क्षेत्र पर रहते हैं। परंतु, उपरोक्त क्षेत्र के केवल 13% क्षेत्र ही FRA के अंतर्गत आता है। कुछ FRA आवेदन रद्द कर दिए जाते हैं, कुछ लंबित हैं।

मंद क्रियान्वयन के कारण ⇒

i) राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव ⇒

व्यापार की सुगमता के लिए प्रतिपूरक वनीकरण, ग्राम्य वन जैसी नई पहल आई हैं जो या FRA को कमजोर करती हैं या इसके विरुद्ध हैं।

(ii) क्रियान्वयन / कार्यप्रणाली संबंधी समस्या =>

- जनजाति मंत्रालय, राज्य व वन विभाग में समन्वय का अभाव
- जनजाति मंत्रालय में FRA के अधिसूचित होने के कारण पूर्ण पदेन सक्षम नहीं किया

(iii) अपर्याप्त संसाधन => जनजाति कार्य मंत्रालय के पास वित्तीय व मानव संसाधन की कमी।

(iv) वनभूमि का स्थानांतरण => 0.3 मिलियन हेक्टेयर
↳ 2009 – 2020 में

(v) दावेदारों द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने में आने वाली समस्याएँ

समग्रतः कहा जा सकता है कि FRA को मजबूत करने की आवश्यकता है इसके लिए ग्राम सभा को शक्ति प्रदान की जाए, जनजाति कार्य मंत्रालय को संसाधन उपलब्ध कराए जाए, उनके वन उपज में मूल्य वृद्धि की जाए तथा वनभूमि के हस्तांतरण को रोका जाए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. The National Digital Health Mission (NDHM) has the potential to bring a new revolution in India's health sector in multiple ways. Explain.

(150 words) 10

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (NDHM) में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्रक में कई तरह से एक नई क्रांति लाने की क्षमता है। व्याख्या कीजिए।

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन

एक डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकीय तंत्र है जिसमें व्यक्ति को। चिकित्सक व स्वास्थ्य सेवाकर्मियों द्वारा एक 'स्वास्थ्य पहचान पत्र' व 'इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड' दिया जाएगा। यह आयुष्मान भारत योजना का एक भाग है।

स्संभावनाऐं

i) रोगी का व्यक्ति का सारा रिकॉर्ड एक स्थान पर होगा

(ii) व्यक्ति को अच्छे डॉक्टर से सलाह लेने के लिए जानकारी। उपलब्ध होगी

(iii) टेलीमेडीसन से दूर बैठे इलाज संभव

(iv) नीति-निर्माण में व्यक्तियों का डाटा सहायक होगा

(v) इस डाटा के आधार पर बेहतर शोध किया जा सकता है और नई दवाईयां तथा

उपचार के नए विकल्प खोजे जा सके हैं।
परंतु कुछ समस्याएँ भी इसके
साथ विद्यमान हैं — डाटा गोपनीयता,
डेटा की सुरक्षा, साइबर अटैक की संभावना,
गरिमा हनन की समस्या आदि।

निष्कर्षतः NDHM स्वास्थ्य क्षेत्र में
क्रांति ला सकता है परंतु इससे संबंधित
समस्याओं का समाधान आवश्यक है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. Explain the rationale behind the creation of a Social Stock Exchange in India. Do you think this move would boost social impact investing in the country? **(150 words) 10**

भारत में सोशल स्टॉक एक्सचेंज के सृजन के पीछे निहित तर्क की व्याख्या कीजिए। क्या आपको लगता है कि इस कदम से देश में सामाजिक प्रभाव वाले निवेश को प्रोत्साहन प्राप्त होगा?

सोशल स्टॉक एक्सचेंज से तात्पर्य गैर-लाभकारी संगठन, गैर-सरकारी संगठन के स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने से है। 2021 में SEBI ने SSE के संबंध में परामर्शिका निकाली।

सोशल स्टॉक एक्सचेंज का अंतिम सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करना होता है, परंतु इनके पास वित्तीय संसाधनों की कमी होती है। SSE के माध्यम से इन्हें वित्तीय संसाधन की उपलब्धता संभव हो सकेगी।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ मत लिखें)

9. Broadly explain the composition and functions of the District Mineral Foundation (DMF). Also, discuss the issues in the effective utilisation of DMF funds. (150 words) 10

जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) की संरचना और कार्यों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। साथ ही, DMF निधियों के प्रभावी उपयोग के समक्ष मुद्दों पर भी चर्चा कीजिए।

जिला खनिज फाउंडेशन का गठन

राज्य सरकार द्वारा खान व खनिज (संशोधन) अधिनियम 2015 के अनुसार किया गया है।
इसका उद्देश्य खनन से प्रभावित क्षेत्रों में प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए किया जाता है।

DMF की संरचना :-

i) इसका गठन, PESA, 1996, FRA 2006, खान व खनिज अधिनियम के अनुसार किया है

कार्य-

i) खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकासात्मक व कल्याणकारी योजना (शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, बच्चे)

(ii) खनन प्रभावित क्षेत्रों में दीर्घकालिक जीविका सुनिश्चित करना

(iii) खनन के दौरान व बाद में खनन से प्रभावित लोगों, व पर्यावरण के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना।

(मुद्दे)

↳ केंद्र-राज्य संघर्ष → राज्यों की स्वायत्तता↓

↳ भौतिक व्यय में अधिक वृद्धि → भौतिक अवसंरचना में निवेश ↑ → मानवीय संसाधन पर व्यय↓

→ प्रतिनिधित्व का अभाव → लोगों की शामिल नहीं।

↳ निम्नस्तरीय कार्यान्वयन → लाभार्थियों की पहचान के कोई मानक नहीं।

~~विभाग~~ अतः आवश्यक है कि DMF उपयोग में आने वाले मुद्दों का समाधान किया जाए ताकि इसके वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. Illiteracy and poverty are hindrances in the formation of healthy public opinion on public policies. Discuss with suitable examples. **(150 words) 10**
निरक्षरता और निर्धनता सार्वजनिक नीतियों के संबंध में स्वस्थ जनमत के निर्माण में बाधक हैं। उपयुक्त उदाहरणों के साथ विवेचना कीजिए।

लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति के विचार, तर्क महत्वपूर्ण होते हैं। जब अधिकांश लोग एक पक्ष का समर्थन करते हैं तो जनमत का निर्माण होता है। जनमत सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है।

निरक्षता स्वस्थ जनमत के निर्माण में बाधक

i) निरक्षर व्यक्ति सुधारों के प्रति प्रतिगामी रवैया अपनाते हैं जैसे - महिलाओं के पिछड़ापन के सुधार पर विपरीत जनमत

ii) निरक्षर व्यक्ति की राजनीतिक समझ तर्कों पर आधारित न होकर भावनाओं पर आधारित होती है जैसे - चुनाव के समय धर्म, जाति आदि के आधार पर ध्रुवीकरण

iii) निरक्षर व्यक्ति नए विचारों के प्रति प्रतिरोध की अवस्था में रहते हैं जैसे - LGBT समुदाय से संबंधित।

① निर्धनता स्वस्थ जनमत के निर्माण में बाधक

(i) निर्धन व्यक्ति राजनीतिक कमियों के बारे में ज्यादा नहीं सोचता है जैसे - वह व्यवस्था को स्वीकार कर लेगा पर उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा क्योंकि एक दिन की दिहाड़ी से उसका पेट भरता

(ii) निर्धन व्यक्ति को पैसों के नाम पर आसानी से बहलाया फुसलाया जा सकता है।

निष्कर्षतः कह सकते हैं कि स्वस्थ जनमत के निर्माण के लिए देश से निरक्षरता व निर्धनता का उन्मूलन आवश्यक है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. A critical appraisal of the outcomes of the 74th Constitutional Amendment Act underlines the need for second-generation reforms to strengthen decentralisation of urban local governance in India. Discuss. **(250 words) 15**

74वें संविधान संशोधन अधिनियम के परिणामों का आलोचनात्मक मूल्यांकन भारत में शहरी स्थानीय शासन के विकेंद्रीकरण को सुदृढ़ करने हेतु दूसरी-पीढ़ी के सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करता है। चर्चा कीजिए।

ध्यातव्य है कि 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम ने शासन के तृतीय स्तर पर स्थित स्थानीय लोक निकायों का संवैधानिक रूप दिया जो वास्तव में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को चरितार्थ करता है।

परंतु इसके अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। इसमें कुछ कमियाँ व्याप्त हैं—

i) राज्य के विवेक पर निर्भरता → इस अधिनियम में कुछ जगह 'अनिवार्य' प्रावधान का वर्णन है जबकि कुछ जगह 'स्वैच्छिक' अर्थात् कुछ जगह 'होगा' उल्लेखित है तो कुछ जगह 'हो सकता है' है। यह राज्य के हस्तक्षेप / विवेक पर निर्भर बनाता है।

(ii) अपरिभाषित कार्यक्षेत्र → इस अधिनियम में स्थानीय निकायों के कार्यक्षेत्र परिभाषित नहीं है।

(ii) **राज्य वित्त आयोग** ⇒ इस अधिनियम द्वारा राज्य वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है जो इन निकायों को निधि आवंटन व लगाए जाने वाले करो व गैर-करों के सिद्धान्तों का निर्धारण करता है। इसका राज्य सरकारों द्वारा समय पर गठन नहीं किया जा रहा है।

(iii) **वित्तीय संसाधनों का अभाव** → स्थानीय निकाय वित्तीय संसाधनों के लिए राज्य सरकारों पर अत्यधिक निर्भर है।

(iv) **GST** → स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाने वाले करों को GST में शामिल कर लिया गया है परंतु इन निकायों को GST से कुछ भी अंश प्राप्त नहीं होता।

(v) **शहरी योजना का अभाव** ⇒ इन निकायों द्वारा उचित रूप से शहरी विकास योजना का कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा।

उपर्युक्त कमियों के आधार पर कह सकते है कि ULB में विकेंद्रीकरण के लिए द्वितीय पीढ़ी के सुधारों की आवश्यकता है जिसमें राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर राज्य वित्त आयोग का गठन अनिवार्य है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

राज्य सरकारों व केंद्र सरकार द्वारा इन निकायों को आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए ; ~~इस~~ आधुनिक तरीके से शहरी विकास योजना का निर्माण करना चाहिए।

साथ ही पारदर्शिता व जवाबदेहिता बढ़ाने के लिए इन निकायों का ~~स्वतं~~ लेखा परीक्षा किया जाना चाहिए

उपर्युक्त सुधारों के माध्यम से हम गांधीजी के आदर्श ~~वि~~ लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को पूरा ~~●~~ कर सकते हैं।

12. Asymmetry is an important characteristic of federalism in India, which has helped in the accommodation of diverse demands inherent in our democracy. Discuss. (250 words) 15

असममिति भारत में संघवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसने हमारे लोकतंत्र में निहित विविध मांगों के समायोजन में सहायता प्रदान की है। चर्चा कीजिए।

'असममित संघवाद' से आशय है कि शासन की विभिन्न इकाईयों के मध्य शक्तियों व दायित्वों का बंटवारा भिन्न-2 हो। कुछ समीक्षकों के अनुसार 'भारत विशिष्ट असममित संघवाद की विशेषताओं से युक्त सममित संघवाद' है। भारतीय संविधान में इसे कई रूपों से देखा जा सकता है —

i) संविधान का अनुच्छेद-3 संसद को राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, नाम, क्षेत्र आदि में परिवर्तन की अनुमति देता है।

ii) संविधान का अनु॰-371 → महाराष्ट्र के राज्यपाल को विदर्भ, मराठवाड़ा के लिए पृथक विकासबोर्ड की स्थापना के लिए कहता है तथा गुजरात के सौराष्ट्र व कच्छ के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना (गुजरात के राज्यपाल द्वारा)

iii) संविधान का अनु॰ -371 A → नागा जनजाति की संस्कृति, सामाजिक-धार्मिक पद्धतियों को विशिष्ट मान्यता देता है। अनु॰ -371G → मिजोरम को इसी प्रकार के अधिकार देता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

iv) [भारत के केंद्र-शासित प्रदेश] → वैसे तो भारत में संघवाद है, परंतु केंद्र-शासित प्रदेश के संबंध में ये पूर्णतः व आंशिकतः केंद्र के नियंत्रण में कार्य करते हैं।

v) [पांचवीं व छठीं अनुसूची] ⇒ संविधान की 5वीं व 6वीं अनुसूची आदिवासियों को ~~स्वशासन~~ 'स्वशासन' संबंधी विशेष प्रावधान देती है।

vi) [विशिष्ट राज्यों का दर्जा] → सरकार कुछ राज्यों को विशिष्ट श्रेणी का राज्य घोषित करती है और उनके साथ अन्य राज्यों की तुलना में उदारवादी रवैया अपनाती है। उदाहरण के लिए, CSS में उन्हें 90% केंद्रीय अनुदान दिया जाता है जबकि अन्य राज्यों को 60%।

परंतु ये विशिष्ट शक्तियाँ इन राज्यों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं ~~की~~ की पूर्ति के लिए दी जाती हैं जैसे —

i) ~~5वीं व 6वीं अ.~~ जनजातियों की विशिष्ट धर्म, संस्कृति व पहचान की रक्षा के लिए उन्हें स्वायत्त जिलों के माध्यम से स्वशासन की व्यवस्था।

ii) कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान देश की

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

iv) भारत के केंद्र-शासित प्रदेश → वैसे तो भारत में संघवाद है, परंतु केंद्र-शासित प्रदेश के संबंध में ये पूर्णतः व आंशिकतः केंद्र के नियंत्रण में कार्य करते हैं।

v) पांचवीं व छठी अनुसूची ⇒ संविधान की 5 व 6 वीं अनुसूची आदिवासियों को 'स्वशासन' संबंधी विशेष प्रावधान देती है।

vi) विशिष्ट राज्यों का दर्जा → सरकार कुछ राज्यों को विशिष्ट श्रेणी का राज्य घोषित करती है और अन्य राज्यों की तुलना में उदारवादी उनके साथ रवैया अपनाती है। उदाहरण के लिए, CSS में उन्हें 90% केंद्रीय अनुदान दिया जाता है जबकि अन्य राज्यों को 60%।

परंतु ये विशिष्ट शक्तियाँ इन राज्यों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दी जाती हैं जैसे—

i) जनजातियों की विशिष्ट धर्म, संस्कृति व पहचान की रक्षा के लिए उन्हें स्वायत्त जिलों के माध्यम से स्वशासन की व्यवस्था।

ii) कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान देश की

विविधता को बनाए रखने के लिए दिए जाते हैं।

(iii) विकास व संसाधनों के क्षेत्र में क्षेत्रीय असमानताओं के कुछ क्षेत्र को विशिष्ट शक्तियाँ दी जाती हैं।

iv) केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण विशिष्ट उद्देश्य जैसे – सामरिक, सांस्कृतिक आदि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की गई।

स्पष्ट है कि हमारा देश ~~विविध~~ विशाल जनसंख्या व विविधतापूर्ण देश है और सभी क्षेत्रों की समस्याएँ अलग-2 हैं। अतः इन समस्याओं के समाधान के लिए इन्हें विशिष्ट अधिकार दिए गए।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. It is argued that unchecked and rampant exercise of the power to insert laws in the Ninth Schedule results in undermining of Constitutional supremacy and creation of Parliamentary hegemony. Do you agree? Justify your stand with logical arguments. (250 words) 15

यह तर्क दिया जाता है कि नौवीं अनुसूची में विधियों को सम्मिलित करने की शक्ति के अनियंत्रित और व्यापक स्तर पर प्रयोग से संवैधानिक सर्वोच्चता में कमी और संसदीय आधिपत्य का सृजन होता है। क्या आप सहमत हैं? उचित तर्कों के साथ अपने मत की पुष्टि कीजिए।

9 वीं अनुसूची को प्रथम संवैधानिक संशोधन द्वारा अनु॰-31B के रूप में जोड़ा गया। इसमें रखा गया है इसमें निर्दिष्ट कानूनों को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि इन्होंने मूल अधिकारों का हनन किया है।

परंतु 9वीं अनुसूची में विधियों को शामिल करने से / व्यापक प्रयोग से संवैधानिक सर्वोच्चता में कमी आती है —

i) मूल अधिकारों के विरुद्ध ⇒ यह मूल अधिकारों के हनन के संदर्भ में न्यायालय में जाने से रोकता है।

ii) न्यायिक पुनरावलोकन के विरुद्ध → यह न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को सीमित करता है जबकि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति Art-32, 226 के अनुसार संविधान की आधारभूत संरचना का भाग है।

यह संसदीय आधिपत्य का सृजन करता है
i) इसमें शामिल कानूनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब इसमें 284 कानूनों को रखा गया (राज्य+केंद्र) जो भूमिसुधारों व अन्य विषयों से संबंधित है।

(ii) उपयोगिता समाप्त होगई → इसे भूमि सुधारों से संबंधित कानून को संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाया गया था परंतु अब इसमें अन्य विषयों को भी सरकार अपने स्वार्थपूर्ति करने हेतु डाल रही है जैसे तमिलनाडु सरकार ने अपने 69% आरक्षण कानून को इसमें डाल दिया।

स्पष्ट है कि समय के साथ कानून में परिवर्तन करना चाहिए। ज्ञात है कि 9 वीं अनुसूची के समावेशन के समय ऐसी परिस्थितियाँ थीं। परंतु अब यह अप्रासंगिक नज़र आती है। साथ ही संविधान की आधारभूत संरचना - न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का अतिक्रमण करती है।

14. Though the antecedents of the Indian Constitution can be traced to a series of British colonial legislations and other Constitutions of the world, in spirit and practice it has been completely Indian. Discuss. (250 words) 15

यद्यपि भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि ब्रिटिश औपनिवेशिक कानूनों की शृंखलाओं और विश्व के अन्य संविधानों में देखी जा सकती है, तथापि सिद्धांत और व्यवहार में यह पूर्णतः भारतीय है। चर्चा कीजिए।

ज्ञातव्य है कि भारतीय संविधान विश्व के विभिन्न संविधानों के भिन्न विशेषताओं को लेकर बनाया गया है। साथ ही औपनिवेशिक कानूनों के कुछ प्रावधानों को शामिल किया गया। उदाहरण के लिए:—

(i) भारत शासन अधिनियम, 1935 → भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधान इससे लिए गए हैं

→ संघवाद → केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा

→ प्रांतीय स्वायत्तता → राज्य सरकारें अपनी विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी।

(ii) ब्रिटेन के संविधान से

- विधि का शासन
- एकल नागरिकता
- संसदीय शासन

) → को अपनाया गया

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(iii) अमेरिकी संविधान से → मूल अधिकार
→ न्यायिक पुनरावलोकन
→ राष्ट्रपति का महाभियोग व न्यायधीशों को हटाया जाना

(iv) आयरलैण्ड के संविधान से → नीति-निर्देशक तत्व

(v) कनाडा संविधान से → सशक्त केंद्र के साथ संघ
→ केंद्र शक्तिशाली
→ राज्यपाल की नियुक्ति
→ अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को

(vi) फ्रांस के संविधान से → स्वतंत्रता, समानता, न्याय

(vii) आस्ट्रेलिया के संविधान से → व्यापार, वाणिज्य की स्वतंत्रता
→ समवर्ती सूची, ~~संयुक्त~~
→ संयुक्त बैठक का प्रावधान

(viii) जर्मनी का वाइमर संविधान → संविधान संशोधन की शक्ति

परंतु भारतीय संविधान सिद्धांत व व्यवहार में पूर्णतः भारतीय है —

i) भारत में पंथनिरपेक्षता को अपने अनुसार अपनाया गया जिसमें राज्य सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखेगा जबकि पश्चिम में राज्य व धर्म के बीच पृथक संबंध।

(ii) शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को भारत के अनुरूप अपनाया जिसमें सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में समन्वय होगा।

अतः कह सकते हैं कि भले ही भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि विदेशी हो परंतु यह सिद्धांत व व्यवहार में भारतीय है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. In India, the Finance Commissions are established pursuant to the constitutional mandate. In this context, do you think the State Finance Commissions have been effective in promoting fiscal federalism? Substantiate with arguments. (250words) 15

भारत में वित्त आयोगों की स्थापना संवैधानिक अधिदेश के अनुसार की जाती है। इस संदर्भ में, क्या आपको लगता है कि राज्य वित्त आयोग राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देने में प्रभावी रहे हैं? तर्कों के साथ पुष्टि कीजिए।

'राजकोषीय संघवाद' से तात्पर्य है कि शासन के विभिन्न स्तरों पर शासकीय कार्यों व वित्तीय संसाधनों का विभाजन से है। 73 & 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया जिसमें ' ~~स्थानीय~~ राज्य वित्त आयोग' के गठन का प्रावधान अनु.-243-I & अनु.-243Y है। राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा।

ध्यातव्य है कि राज्य वित्त आयोग स्थानीय निकायों को निधि का आवंटन तथा कर व गैर-कर लगाने संबंधी सिद्धांतों का निर्धारण करता है।

परंतु ~~ये अ~~ इनके ये अपने संवैधानिक अनुदेश के अनुसार काम नहीं कर रहे —

i) संवैधानिक अनुदेश व वास्तविक कार्यप्रणाली में भिन्नता :⇒ अभी तक 5वें SFC

का गठन हो जाना चाहिए था (पटेल, केवल कुछ राज्य जैसे - MP, UP, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि ने ही 5वें SFC का गठन किया है जबकि अन्य राज्य इनोव तीसरे SFC के गठन के स्तर पर है।

ii) केवल कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र को छोड़कर SFC द्वारा निर्धारित औसत प्रतिव्यक्ति हस्तांतरण आय, औसत प्रतिव्यक्ति आय से कम है।

iii) अधिकांश राज्य SFC प्रतिवेदन को निम्नस्तरीय बताते हुए उसकी अनुशंसाओं की अनुपालना नहीं करते हैं जैसे - चौथा राजस्थान के SFC ने कुछ संशोधनों के बाद सिफारिशें लागू की।

iv) SFC के अध्यक्ष व सदस्य अधिकांशतः ~~और~~ सेवानिवृत्त अधिकारी, सेवारत अधिकारी या राजनेता होते हैं जो SFC के स्वतंत्रता व निष्पक्षता को सीमित करते हैं।

v) अलग-2 राज्यों द्वारा SFC द्वारा आवंटित राशि के सिद्धांत अलग-2 हैं जैसे - कुछ राज्य केवल कर राशि से ही आवंटन करते हैं जबकि कुछ कुल राशि (GST, कर & गैर-कर) से

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

आवंटित करते है।

उपर्युक्त विश्लेषण से ज्ञात होता है कि SFC अपने संवैधानिक अनुदेश के अनुसार कार्य नहीं कर रहें हैं। अतः राज्य सरकारों को आवश्यकता है कि इन्हें आवश्यक शक्तियाँ दे दें तथा समय-२ पर जाँच करे जिससे स्थानीय निकाय लोकतांत्रिक ~~विकेंद्रीकरण~~ व सहभागी लोकतंत्र के रूप में कार्य कर सकें।

16. In India's political system, the Executive and Legislature are not strictly separated; instead, their relationship is intimate and non-dichotomous. Comment. (250 words) 15

भारत की राजनीतिक व्यवस्था में, कार्यपालिका और विधायिका पूर्णतः पृथक नहीं हैं, अपितु इनके मध्य अभिन्न एवं अविच्छेद संबंध हैं। टिप्पणी कीजिए।

भारतीय संविधान का Art-50 'शक्ति पृथक्करण' की बात करता है अर्थात् प्रशासन के तीन अंग – कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। परंतु भारत में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पश्चिम की तरह लागू नहीं होता। यहां इन तीनों के मध्य एक अभिन्न संबंध विद्यमान है—

(i) सामूहिक उत्तरदायित्व → कार्यपालिका सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है जिसमें कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

(ii) जवाबदेह सरकार → कार्यपालिका अपनी नीति, कार्यों व निर्णय के प्रति संसद के प्रति उत्तरदायी है, प्रश्नकाल, बहस, चर्चा

(iii) अभिन्न अंग → कार्यपालिका के सदस्य वस्तुतः विधायिका के भी सदस्य होते है और

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

कार्यपालिका के प्रमुख भी विधायिका के सदस्य होते हैं। अतः ये आपस में जुड़ी हुई होती है।

(iv) विधायी व कार्यकारी शक्ति → विधायिका कानून बनाती है जबकि उनका क्रियान्वयन कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। यहाँ भी उनके मध्य अभिन्न संबंध नज़र आता है।

(v) कभी-२ कार्यपालिका द्वारा विधायी कार्य → जब विधायिका सत्र में न हो और अति आवश्यक स्थितियां उत्पन्न हो गई हो तब राष्ट्रपति व राज्यपाल द्वारा अध्यादेश द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है।

अतः स्पष्ट है कि भारत में कार्यपालिका व विधायिका के मध्य वैसा शक्ति पृथक्करण नहीं विद्यमान जैसा पश्चिम में है। बल्कि ये एक-दूसरे के साथ 'जाँच व संतुलन' के सिद्धांत पर कार्य करती है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. Reduction in the overall size of the bureaucracy has been seen as the underlying idea behind civil services reforms. Is it a good idea to reduce the size of the Indian bureaucracy? Examine in light of the experience of India.

(250 words) 15

नौकरशाही के समग्र आकार में कमी को सिविल सेवाओं में सुधार के पीछे अंतर्निहित विचार के रूप में देखा गया है। क्या भारतीय नौकरशाही के आकार को कम करना एक उपयुक्त विचार है? भारत के अनुभव के आलोक में परीक्षण कीजिए।

नौकरशाही वस्तुतः नागरिकों को आधारभूत सुविधाएं देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए, नौकरशाही स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाती है; देश की एकता व अखण्डता बनाने में मदद करती है; नीतियों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण है। ~~अतः~~

परंतु, द्वितीय प्रशासनिक रिपोर्ट व 5 वीं केंद्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय नौकरशाही का आकार बहुत बड़ा है और उसे कम करने की आवश्यकता है क्योंकि इससे अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं—

(i) नौकरशाही के आकार में वृद्धि से परिणाम कम व आंतरिक जटिलताएं और समस्याएं ~~ज्यादा~~ उत्पन्न हो रही हैं। ~~जैसे~~

(ii) नौकरशाही में पदानुक्रम विद्यमान है जिससे निर्णय लेने में विलम्ब होता है।

(iii) नौकरशाही की अधिकता के कारण आर्थिक संसाधन अधिक खर्च होते हैं। अगर नौकरशाही कम होगी तो हम उन पैसों को अन्य विकासात्मक कार्य में लगा सकते हैं।

परंतु कुछ प्रमाणों से पता चला है कि नौकरशाही में आकार समस्या नहीं है।

i) 7 वीं केंद्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रति 1 लाख लोगों पर 168 नौकरशाह है जबकि अमेरिका में नौकरशाह प्रति एक लाख लोगों पर 669

(ii) अधिकांश नौकरशाही की अधिकता सीमावर्ती राज्यों व J&K में है। परंतु, मध्य - बिहार, MP, छत्तीसगढ़ में नौकरशाही की संख्या कम है जिससे यहाँ सार्वजनिक सुविधाएँ - शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, पानी - आदि की समस्याएँ है।

ध्यातव्य है कि नौकरशाही का आकार सरकार के कार्य पर निर्भर करता है। यदि सरकार का कार्य अधिक है तो

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

नौकरशाही की संख्या भी अधिक होगी।

अतः स्पष्ट है कि सरकार को सिर्फ वे ही कार्य करने चाहिए जो संप्रभु हो तथा जिन्हें बाहर से नहीं कराया जा सकता, नौकरशाही का आकार अपने आप कम हो जाएगा।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. Over 15 years of the Right to Information Act have thrown up multiple experiences, some of which need to be built upon, while others necessitate steps to uphold the act in its letter and spirit. Explain with examples.

(250 words) 15

सूचना का अधिकार अधिनियम के 15 वर्षों ने अनेक अनुभव प्रदान किए हैं, जिनमें से कुछ के आधार पर कार्य करने की आवश्यकता है, जबकि अन्य अधिनियम को उसकी मूल भावना के अनुसार बनाए रखने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता पर बल देते हैं। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिकों को सरकार से सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया था। पिछले 15 वर्षों में (~~सूचना आयोग~~) ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार 33 मिलियन लोगों ने RTI के लिए आवेदन किया और उनमें से 90% लोग मिली गई सूचना से संतुष्ट थे।

सूचना आयोगों की संरचना व अवसंरचना पर्याप्त है। परंतु इनमें कुछ सुधार कदम उठाने की आवश्यकता है—

(i) आवेदन दाखिल करने में कठिनाई

(i) लोक सूचना अधिकारियों का गैर-जिम्मेदार रवैया

(ii) मार्गदर्शन का अभाव

(iii) e-आवेदन में जागरूकता का अभाव

(i) निम्नस्तरीय अवसंरचना → सूचना आयोग के पास अवसंरचना की कमी → डिजिटल —

(iii) सूचना की निम्नस्तरीय गुणवत्ता →

मांगी गई सूचना कई कारणों से वो नहीं होती जिसके लिए आवेदन किया है।

(iv) जागरूकता का अभाव → ग्रामीण, महिलाएँ, SC & ST में इसको लेकर जागरूकता का अभाव है।

(v) मानव संसाधन की कमी → सूचना आयोग के पास प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी है।

(vi) 30 दिन में सूचना देने की विफलता

RTI अधिनियम के अनुसार सूचना आवेदन करने पर 30 दिनों के भीतर सूचना मिल जानी चाहिए परंतु ऐसा नहीं हो रहा है।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि उपर्युक्त कमियों के समाधान की आवश्यकता है जिसमें लोगों को जागरूक करना, सूचना की गुणवत्ता में सुधार करना; आवेदन दायर करना सिखाना, डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करना तथा समय पर सूचना

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

देना शामिल है। इससे सशक्त समाज का निर्माण होगा।

20. The issuance of Citizens' Charters alone cannot change the mindset of staff and clients overnight; rather, regular, untiring and persistent efforts are required to bring about attitudinal changes. Discuss. **(250 words) 15**

केवल सिटीजन चार्टर जारी करने से कर्मचारियों और ग्राहकों की मानसिकता में एकाएक परिवर्तित नहीं किया जा सकता; बल्कि व्यवहार में बदलाव लाने के लिए नियमित, अथक और निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए।

सिटीजन चार्टर एक ऐसा दस्तावेज है जो सेवा प्रदाताओं द्वारा ~~मानो लेकर~~ ~~मानकर~~ अपनी सेवाओं के संबंध नागरिक प्रतिबद्धताओं को व्यक्त करता है।

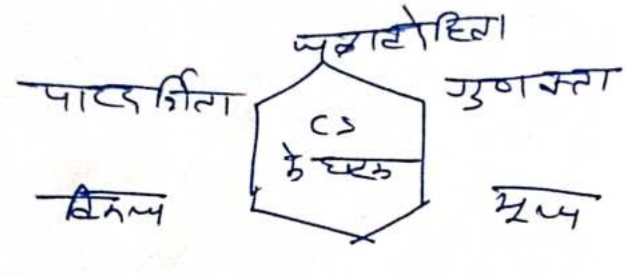

चुनौतियां जो कर्मचारियों व ग्राहकों की मानसिकता के कारण उत्पन्न होती —

i) नागरिकों के साथ परामर्श करके नहीं बनाया जाता है।

(ii) सिटीजन चार्टर के मूल्य, विकल्प, प्रतिबद्धताओं के प्रति सेवाप्रदाता के कर्मचारी जागरूक नहीं रहते हैं।

(iii) वितरण के मानकों के बारे में जनता को जागरूक व शिक्षित नहीं किया जाता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(iv) नई पद्धति अपेक्षाओं व आशंकाओं पर आधारित होती हैं। अतः सिटीजन चार्टर के प्रति कर्मचारियों का प्रतिरोध होता है।

सिटीजन चार्टर की सफलता के लिए कर्मचारियों व ग्राहकों के व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता —

(i) परामर्श प्रक्रिया में नागरिकों को शामिल किया जाना चाहिए

(ii) सेवा प्रदाता वैसी ही प्रतिबद्धताएं करें जिसे वो पूरा कर सके अर्थात अपनी क्षमताओं के अनुरूप वादे।

(iii) अपने कर्मचारियों को चार्टर के बारे में जागरूकता

(iv) जनता को इसके बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता

अतः स्पष्ट है कि सिटीजन-चार्टर को नागरिक केंद्रित बनाया जाना चाहिए जो नागरिकों को बेहतर सेवा प्राप्ति करेगी।